

1  
28  
224

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

अशोक सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं 1 अन्य।

लगान निर्धारण रिविजन संख्या-03/2010

18.9.16

आदेश

आवेदक अशोक सिंह पिता स्व० सीताराम सिंह एवं 01 अन्य ग्राम गुमो, थाना-चन्दवारा द्वारा लगान निर्धारण रिविजन संख्या-03/2010 में तत्कालीन उपायुक्त कोडरमा द्वारा दिनांक 28-8-2014 को पारित आदेश के विरुद्ध के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त, कोडरमा द्वारा दिनांक 28-8-2014 को आदेश पारित करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा द्वारा विविध अपील वाद संख्या-04/2008-09 अशोक सिंह बनाम प्रमोद कुमार जैन में दिनांक 14.08.2010 को पारित आदेश को यथावत रखा गया है और प्रस्तुत वाद को खारीज किया गया है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में कहा गया है कि खेवट नं०-01 बकास्त भूमि है, खेवट नं०-01 के मालिक खेवटदार राम नारायण सिंह है। उनके जीवित रहते उक्त भूमि उनके दखल में थी। उनके मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह उक्त खेवट के उत्तराधिकारी बने। उनके मृत्यु के उपरान्त उनके दो पुत्र कामाख्या नारायण सिंह एवं बसंत नारायण सिंह उत्तराधिकारी हुए। बाबू कामाख्या नारायण सिंह जमीन्दारी के समय पदमा राज के राजा बहादुर घोषित हुए। कामाख्या नारायण सिंह अपने एक मात्र पुत्र जितेन्द्र नारायण सिंह को छोड़कर मरे। उक्त भूमि के वे मालिक रहे। उक्त भूमि (0.24डी0) को अशोक सिंह को केवाला नं०-5933 दिनांक 29.10.2004 को बिक्री कर दिये। प्रश्नगत भूमि को चाहरदिवारी से घेर दिया गया। भूमि आवेदक के दखल में है। आवेदक अंचल अधिकारी के यहां लगान निर्धारण हेतु आवेदन पत्र दिया गया। प्रमोद कुमार जैन (विपक्षी) इस पर आपत्ति किये, तब अंचल अधिकारी द्वारा Rent Assessment Case No.23/2007-08 खारीज कर दिया गया।

अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 1038 दिनांक 14-9-2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, " मौजा-बेलाटांड के अन्तर्गत खाता नं०-02, प्लॉट नं०-52, रकवा-1.04 ए० भूमि की मापी पूर्व में कार्यालय ज्ञापांक 446 दिनांक 12.04.2016 के आलोक में की गई है, जिसमें पूरे प्लॉट की मापी कर चिन्हित करवा दिया गया था। उक्त प्लॉट की वास्तविक स्थिति, जिसमें 0.1050 एकड़ भूमि पर श्री अशोक कुमार सिंह पिता स्व सीताराम सिंह का पक्का मकान बना हुआ पाया गया एवं 0.66 ए० भूमि खाली है जो कि बाँण्डीवाल से घिरा हुआ है तथा प्रश्नगत भूमि के ही अंश में 0.22 ए० भूमि पर सुशीला देवी पति रूपचन्द्र जैन वो दिनेश सिंह पिता स्व० केदार सिंह वो परमेश्वर सिंह वो जयप्रकाश नारायण वो लक्ष्मी नारायण पिता स्व० रामदास भगत का मकान बना हुआ है तथा 05.5डी0 भूमि के अन्तर्गत गोपाल प्रसाद का मकान एवं रास्ता बना हुआ है।

इनलॉगो के द्वारा स्थल पर अपने दखल कब्जे से संबंधित भूमि का कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि खाता नं०-02, प्लॉट नं०-52 में खाली भूमि मात्र 0.66 ए० है। उक्त भूमि पर श्री प्रमोद कुमार जैन वो पप्पु कुमार जैन के द्वारा 0.49 एकड़ भूमि पर दावा करते हैं तथा अशोक कुमार सिंह, पिता स्व० सीताराम सिंह के द्वारा 0.24 एकड़ भूमि पर अपना दावा करते हैं तथा धर्मनाथ सिंह पिता स्व० जंग बहादुर सिंह वगैरह द्वारा 0.20 एकड़ भूमि पर दावा करते हैं।

C.C.No  
272  
2891

C.C.No  
321  
12/16



इस प्रकार कुल मिलाकर 0.93 ए० भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है, जिसमें श्री अशोक सिंह का 0.1050 ए० भूमि पर पूर्व से मकान बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में जबतक उपरोक्त दखलकार सुशीला देवी पति रूपचन्द जैन वो दिनेश सिंह पिता स्व० केदार सिंह वो परमेश्वर सिंह वो जयप्रकाश नारायण वो लक्ष्मी नारायण पिता स्व० रामदास भगत वगैरह से उक्त प्लॉट में दखल कब्जे से संबंधित भूमि की कागजात की सत्यापन नहीं हो जाती है कि इनलोगो को किस प्रकार भूमि प्राप्त है, तबतक धर्मनाथ सिंह वगैरह का दखल दिहानी का कार्य संभव प्रतीत नहीं होता है। उक्त भूमि विवादित है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा ने दिनांक 14-8-2010 को पारित अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि, " प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। उत्तरवादी (प्रमोद कुमार जैन) का प्रश्नगत भूमि के लिये विधिवत जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद अद्यतन निर्गत है तथा भूमि पर दखलकार है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी तरह का फेरबदल करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।"

संचिका में संलग्न कागजात और पूर्व में पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक अशोक सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में न ही कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई नियम की बिन्दू दर्शायी गयी है।

अतः आवेदक के पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए दिनांक 28-8-2014 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।



उपायुक्त  
कोडरमा।

19/9